ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

हरियाणा में कृषि तथा कृषकों की मुख्यसमस्याएँ व सुझाव

पवन कुमार शोध विद्यार्थी,
डॉ. शर्मीला असिस्टेंस प्रोफेसर
स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शिंघानिआ यूनिवर्सिटी, पचेरी बारी, झुंझुनू

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा अति प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। इसके नाम तथा सीमाएँ अवश्य परिवर्तित होती रही हैं, जैसे कि पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के साथ भी हुआ है। हरियाणा को इसका वर्तमान नाम मध्यकाल के प्रारंभ में दिया गया था। हरियाणा शब्द के अर्थ का जहाँ तक संबंध है, अलग–अलग लोग इसकी अलग–अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। एक विद्वान ने इस नाम का श्रेय राजा हरिशचन्द्र को दिया है, जो कथित रूप से अवध से आए थे तथा हरियाणा को बसाया था। उनके आने का कोई समय नहीं बताया गया है। अतः हरियाणा नाम की उत्पत्ति हरिश्चन्द्र से मानी जाती है। एक अन्य विद्वान के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति 'हरि' शब्द हुई है। 'हरि' अर्थात् परशुराम जो इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करने हेतु प्रसिद्ध हैं।

आज का हरियाणा 1966 से पहले पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तब इस भूभाग के किसानों के साथ भेदभाव किया गया। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलीं, जिसके वो हकदार थे। वैसे भी हरियाणा का बड़ा इलाका अनुउपजाऊ था। लेकिन हरियाणा राज्य की स्थापना के साथ ही यहां हरित क्रांति हुई, यहां के किसानों ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। राज्य में हरियाली और खुशहाली का आगाज हुआ। जल्दी ही राज्य देश के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाने लगा। लेकिन इस खुशहाली के साथ कई खतरे भी थे। जिसमें समय के साथ बदलाव जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे आने वाली सरकारों ने नई कृषि तकनीक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज किया। जबकी समय रहते जरूरी उपाए किए जाने चाहिए थे।

जबकि इस समस्या को लेकर देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। स्वामीनाथन ने तो इस कृषि तकनीक को स्वार्थ साधने की खेती कहा था। अभी भी जो तरीका हरियाणा में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जमीन की उर्वरता के क्षरण का खतरा है। जमीन के उर्वराशक्ति का संरक्षण जरूरी है, जिससे लंबे समय तक खेती की जा सके। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इससे न केवल उत्पादन को खतरा है बल्कि कैंसर सहित कई अन्य बीमारियों के होने की संभावाएं हो भीहै।

हरियाणा के लगभग सभी इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। यह समस्या बिना सोचे–समझे भूजल के दोहन से उत्पन्न हुईहै। इतनाहीनहीं जल की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से भूजल संरक्षण के पुख्ता उपाए नहीं किए जा रहे हैं। जिससे आने वाले दिनों में पीने के पानी की

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

समस्या विकराल रुप धारण कर सकती है। पानी की इस समस्या का असर अन्न उत्पादन पर भी पड़ेगा। जिससे देश के एक बड़े भाग में समस्या उत्पन्न होने के पूर्ण आसार हैं।

हरियाणा तीन तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से घिरा है। लेकिन इसका लाभ यहां के निवासियों को नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर केवल कंकरीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। खेतिहर जमीनों की भी विकास के नाम पर बलि चढ़ाई जा रही है। जहां कल तक उपजाऊ खेत होते थे, जिनमें फसल लहलहाया करतीं थीं, आज वहां इमारतें खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में किसानों की मुख्य आजीविका उनके हाथों से छिन रही है।

हरित क्रांत्रि से उपजी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार कहीं से भी जागरूक या चिंतित नहीं दिखती। जबकि आज न केवल कृषि में सुधार की जरूरत है, बल्कि जलसंरक्षण के लिए भी एक सुनियोजित लंबी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जिससे खेत और किसान दोनों का भला हो सके। और राज्य की पहचान भी जिंदा रह सके।

साथ ही इस बात की जरूरत है कि राज्य से सटे दिल्ली के इलाकों के बाजार का फायदा हरियाणा को मिले। अभी तक हालात यह हैं कि दिल्ली के सब्जियों और फलों के बाजार में राज्य की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसका कारण है कि राज्य में बागवानी की शोचनीय स्थिति है। इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा नहीं दिया गया, और न ही राज्य सरकार की ओर से किसानों को उत्पादन व विपणन संबंधी मदद दी गई। जिसके कारण मेहनतकश किसान अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं पा सके हैं। फायदा नहीं होने की वजह से नई पीढ़ी कृ षि के प्रति उदासीन हो रही है, जो हमारे लिए चिंतनीय है।

राज्य सरकार कृषि आधारित व्यवसाय को संरक्षण और बढ़ावा देने में असफल रही है। ''देसों में देश हरियाणा जित दुध दही का खाना'' यह उक्ति बहुत कुछ कह देती है। पशुपालन और डेरी उद्योग का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। हरियाणा में पशुपालन की परंपरा रही है। राज्य में पशुधन पर्याप्त संख्या में है। लेकिन उनकी देख–रेख और समुचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से इसका उचित लाभ नहीं मिल सका है। दिल्ली में रोजाना बड़ी मात्रा में दूध की आपूर्ति होती है। लेकिन दुःख की बात है कि यह दूध हरियाणा से दिल्ली के बाजार में नहीं पहुंचता है, बल्कि दिल्ली के लिए दूध राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे दूर के इलाकों से पहुंचता है। जबकि भौगोलिक तौर पर दिल्ली से सटे होने के कारण इसका फायदा हरियाणा को मिलना चाहिए।

सबसे दुखद पहलू यह है कि हरियाणा सरकार आज राज्य के विकास के लिए विशेष आर्थिक जोन की जरूरत अधिक समझती है, जिसका लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलने वाला है या यह भी कह सकते हैं कि मिल रहा है, जबकि कृषि और इस पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास से राज्य की 70 फीसदी जनता को फायदा मिलता। इससे गांव से होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। हरियाणा की पहचान यहां के कृषि और किसानों से है। आज यहां का किसान और कृषि दोनों संकट में दिखते हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

गया तो इसका केवल आर्थिक असर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर राज्यभर में दिखेगा, और इसकी भरपाई मुश्किल होगी।

1.2 शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आंकडों का संकलन किया जाएगा। अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु विभिन्न शोध अध्ययनों, शोध आलेख, पत्र पत्रिकाओं तथा शासन के द्वारा प्रसारित विभिन्न सूचनाओं का संकलन किया जाएगा, जिससे अध्ययन को पूर्णतः प्रभावित एवं सारगर्भित बनाया जा सके।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1. हरियाणा में खेती की दशा का अध्ययन करना।
2. हरियाणा में कृषि में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
3. हरियाणा राज्य में कृषकों को कृषि में आने वाली समस्याओं के सुझाव से अवगत कराना।

1.5हरियाणा में कृषि तथा कृषकों की मुख्यसमस्याएँ व सुझाव

1.4.1 फसल बीमा की समस्या

किसानों की फसलों का नुकसान होने पर केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी किसानों की रुचि कम होती जा रही है। योजना के मुताबिक, नुकसान होने पर किसान को दो महीने के अंदर भुगतान होना चाहिए, मगर किसानों को 06 महीने से लेकर एक साल तक पैसा मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हाल में आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रदर्शन और मूल्यांकन' के अनुसार वर्ष 2017–18 में कुल 5-01 करोड़ किसानों ने बीमा के लिए नामांकन कराया था। यह संख्या वर्ष 2016–17 के मुकाबले 10 फीसदी कम रही। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा समेत कई राज्यों में बीमा के लिए नामांकन कराने में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर देश के किसानों की आम राय बनती जा रही है कि किसानों और सरकार का पैसा बीमा कंपनियां हड़प रही हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि फसल बीमा योजना से किसानों से ज्यादा कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है और वर्ष 2017–18 के खरीफ सीजन में इन बीमा कंपनियों का मुनाफा 85 फीसदी रहा।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

सुझावः—

- फसल बीमा अपनाकर अपने आप को अनजाने प्राकृतिक जोखिम जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट—जीव एवं बीमारियां तथा प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं आदि से आर्थिक सुरक्ष प्रदान करे।
- अपने क्षेत्र में लागु उचित फसल बीमा योजना का लाभ उठायें। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय देश में तीन बीमा योजनांए संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित श्फसल बीमा योजनाश तथा श्काकोनेट पाम बीमा योजनाश से कियान्वित की जा रही है।
- यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए ऋण ले रहे हैं तो आपके लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना अनिवार्य है तथा गैर—ऋणी किसानों के किए बीमा करवाना स्वैच्छिक है। फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम बैंक शाखा/फसल बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें।

केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना दिनांक 23—2—2016 द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने खरीफ 2016, रबी 2016—17 और खरीफ 2017 व रबी 2017—18 अवधि में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रिमियम में किसानों का हिस्सा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। शेष हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात में वहन किया जाएगा। एक मौसम की सभी फसलों के लिए एक बार प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। किसानों के हित में राज्य सरकार ने कपास की फसल के मामले में जोकि एक वाणिज्यिक फसल है तथा जो 5 प्रतिशत प्रीमियम वर्ग में आती है, किसानों से केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय किया है। शेष 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा । यह 3 प्रतिशत राज्य सरकार के साधारण हिस्से क` अतिरिक्त होगा जोकि केन्द्रीय सरकार के साथ अदा किया जाना है । यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हरियाणा में खरीफ 2016 में 7,35,451 किसानों का प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया गया और कुल प्रीमियम के रूप में 25,633.11 लाख रूपये एकत्रित किए गए तथा 1,47,288 किसानों को 22,707.48 लाख रूपये दावे के रूप में उपरोक्त योजना के तहत भुगतान किया गया। रबी सीजन में 5,97,298 किसानों का बीमा किया गया और प्रीमियम के रूप में कुल 10,780.29 लाख रूपये की राशि एकत्रित की गई तथा 5,080.79 लाख रूपये का भुगतान किसानों को किया गया।

1.4.2 नकलीबीज, उर्वरक और खाद की समस्या

अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन सही वितरण तंत्र न होने के चलते छोटे किसानों की पहुंच में ये महंगे और अच्छे बीज नहीं होते हैं। इसके चलते इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अच्छी खेती का आधार अच्छे बीज होते हैं। अगर अच्छे बीजों का उपयोग

Copyright @ 2020 Authors

हो तो उपज की पैदावार 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, मगर आज नकली बीज, उर्वरक और खाद का बाजार अपने देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी–बड़ी कंपनियों के नाम पर दुकानों पर बेचे जा रहे ये नकली बीज व मिलावटी खाद का शिकार आम किसान बन रहे हैं। हाल में नकली बीज, खाद और उर्वरक में मिलावट करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में 'शुद्ध के लिए युद्ध' का अभियान चलाया गया, जबकि इससे पहले अक्टूबर में मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में नकली बीजों की वजह से 200 किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई।

किसानों को सभी फसलों में अच्छी उत्पादकता के लिए खाद उर्वरक का प्रयोग करना ही पड़ता है।इन खादों में किसान सबसे अधिक यूरिया एवं डी.ए.पी का प्रयोग करते हैं।समय–समय पर किसानों को उर्वरक की कमी होने पर कई बार दुकानदारों के द्वारा मिलावटी खाद दे दिया जाता है जिससे फसलों के साथ साथ किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है साथ पैदावार में भी काफी कमी आती है। किसानों के द्वारा अक्सर यह शिकायत की जाती है की उन्होंने ने जो खाद खरीदी है उसमें मिलावट है। राज्य सरकारों के द्वारा भी हर वर्ष कई खाद, बीज, एवं उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा मारी की जाती है जहाँ से काफी मात्रा में मिलावटी उर्वरक प्राप्त होता हैं।

रसायनिक उर्वरक यूरिया में साधारण नमक, प्यरेट ऑफ पोटाश, एसएसपी, रॉक फास्फेट, चिकनी मिट्टी आदि की मिलावट का अंदेशा रहता है। इसी तरह डीएपी में क्ले मिट्टी जिप्सम की गोलियां, एसएसपी, एमओपी उर्वरकों में बालू एवं साधारण नमक, उर्वरक एनपीके में एसएसपी, रॉक फॉस्फेट, एनपीके मिश्रण, जिंक सल्फेट में मैगनिश्यिम सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट एवं फेरस सल्फेट उर्वरक में बालू व साधारण नमक की मिलावट की जाती है।

सुझावः–

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग करे तथा बीज दर एवं दूरी अपनाये।
- गेहूं, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोडकर) तिलहनों (सरसों, तोरिया एवं सूरजमुखी को छोडकर) के बीज 3 वर्ष में एक बार, मक्की, बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों, तोरिया व सूरजमुखी के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर/बी0टी0 बीजों को प्रति वर्ष बदलें
- हमेशा अधिकृत एजेन्सियों से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा इतना भण्डारण शीतल, सूखे एवं साफ जगह पर करे।
- बिजाई के लिए हमेशा उपचारित बीजों का उपयोग करे तथा बोने से पहले इनकी शुद्धता, गुणवत्ता एवं अंकुरण क्षमता आदि की जांच कर ले।

1.4.3 मिट्टी क्षरणकी समस्या

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

तमाम मानवीय कारणों से इतर कुछ प्राकृतिक कारण भी किसानों और कृषि क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा देते हैं। दरअसल उपजाऊ जमीन के बड़े इलाकों पर हवा और पानी के चलते मिट्टी का क्षरण होता है। इसके चलते मिट्टी अपनी मूल क्षमता को खो देती है और इसका असर फसल पर पड़ता है।

किसानों के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसान इसी मृदा से प्रत्येक वर्ष स्वस्थ व अच्छी फसल की पैदावार पर आश्रित होते हैं बहते हुए जल या वायु के प्रवाह द्वारा मृदा के पृथक्कीकरण तथा एक स्थान से दूसर स्थान तक स्थानान्तरण को ही मृदा अपरदन से प्रभावित लगभग 150 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें से 69 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल अपरदन की गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। मृदा की ऊपरी सतह का प्रत्येक वर्ष अपरदन द्वारा लगभग 5334 मिलियन टन से भी अधिक क्षय हो रहाहै। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57ः भाग मृदा ह्रास के विभिन्न प्रक्ररों से ग्रस्त है। जिसका 45ः जल अपरदन से तथा शेष 12ः भाग वायु अपरदन से प्रभावित है।

सुझावः—

- मिट्टी की जांच के आधार पर ही सही उर्वरक उचित मात्रा में ही डालें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग अवश्य करें।
- उर्वरक छिड़कने की बजाय जड़ो के पास डालें ताकि उर्वरक का पूरा असर रहे।
- फासफेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रूप से फलीदार फसलें, जो मिट्टी को उपजाउ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाईट्रोजन का उपयोग करती है।
- अमलीय भूमि के सुधार हेतू चूना और क्षारी/उसर भूमि के लिए जिप्सम आदि का प्रयोग करें।

1.4.4खेती की बढ़ती लागत की वजह से कर्ज लेना मजबूरी

हाल में कई राज्यों में विधान सभा चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि कृषि संकट को खत्म करने के लिए कर्जमाफी ही वह ब्रह्मास्त्र है जिससे किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देश के कई राज्यों में कर्जमाफी हुई। इस पर भी कई राज्यों के किसानों ने असंतोष जताया कि उनका पूरा ऋण नहीं माफ किया गया। जबकि हकीकत यह है कि छोटे किसान खेती के लिए हर बार कर्ज लेने को मजबूर होते हैं और न चुका पाने पर किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बदनाम हो चुका है। बीते साल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में सरकार बनते ही दस दिनों के अंदर किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, मगर असलियत यह है कि अभी भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका है।

Copyright @ 2020 Authors

सभी क्षेत्रों की तरह कृषि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तकनीकी विस्तार ने पूंजी की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। लेकिन इस क्षेत्र में पूंजी की कमी बनी हुई है। छोटे किसान महाजनों, व्यापारियों से ऊंची दरों पर कर्ज लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में किसानों ने बैंकों से भी कर्ज लेना शुरू किया है। लेकिन हालात बहुत नहीं बदले हैं।

सुझावः—

- अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से मुक्त रखने के लिए किसान बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर के फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।
- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
- किसानों का अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।

1.4.5सुस्त उर्वरक उद्योग

पिछले वर्षों में हरियाणा में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ है। कुछ यूरिया निर्माता भी अपना शटर डाउन करने की गंभीरता से सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति उस समय है जब दुनिया में उर्वरकों की मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। लेकिन आज कल निर्यात की बजाय आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादन काफी हद तक स्थिर बना हुआ है।

इसका मुख्य कारण भारतीय उर्वरक नीति में व्याप्त समस्याएं हैं। इस उद्योग में अवैतनिक उर्वरक सब्सिडी बिल 40,000 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया है एवं इसे इस वित्त वर्ष के अंत तक 48,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।उर्वरक सब्सिडी के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वर्ष दर वर्ष वकाया की राशि बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत उपभोग के लिए लगभग एक—तिहाई नाइट्रोजन का आयात करता है, जबकि तुलनात्मक रूप से 2000—01 में इसके 10 प्रतिशत से भी कम आयात करता था।

सुझावः—

- गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें जिससे हानिकारक कीट व व्याधियों का नियंत्रण होता है।
- फसलों की उपलब्ध प्रतिरोधी किस्मों आदि का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्तः फसल, ट्रैप क्रॉप आदि विधियां अपनाकर कीट नियंत्रण करें।
- लाइट ट्रैप व चिपकने वाली ट्रैप का प्रयोग करें।

Copyright @ 2020 Authors

- जैविक नियंत्रण के लिए परजीवी एवं कीट जीवों (मित्र कीट) का उपयोग करें।
- कीट नियंत्रण के लिए सेक्स फीरोमोन ट्रैप, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु (एन0पी0वी0), स्यूडोमोनास और ट्राइकोग्राम आदि जैसे परजीवी कीट कार्ड का प्रयोग करें।
- जैविक व नीम आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहित करें।

1.4.6 सिंचाई सुविधाओंकी कमी तथामानसून पर निर्भरता

हरियाणा के कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में सरकारी आंकड़ो में शायद ही कभी कोई वृद्धि दिखाई गयी हो। कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 63 मिलियन हेक्टेयर है और देश में बोया हुआ कुल क्षेत्रफल का केवल 45 प्रतिशत ही है।

सिंचित क्षेत्र में बनी स्थिरता से इस क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश और इसकी दक्षता पर सवाल उठते हैं। सिंचाई क्षेत्र में विकास के लिए इन बातों पर गौर करना जरुरी है।

सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मध्यम और बड़े सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में छोटे सिंचाई परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक व्यय से बनाई गई सिंचाई क्षमता का अनुपात अधिक है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर नीति निर्माताओं द्वारा कम ध्यान दिया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुओं, बाढ़ नियंत्रण और सूखे की कमी के रिचार्जिंग के लिए छोटे सिंचाई परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है

हरियाणा में अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले में मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।

बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मॉनसून पर निर्धारित होता है। खराब मॉनसून के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन और उपज में भी उत्पन्न होती है। अधिकांश कृषि राज्यों में मॉनसून पर निर्भरता के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन किसानों को बिना किसी फायदे के करना पड़ता है।

सुझावः—

- अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और जल का संरक्षण करें।
- बरिश का पानी चेक बांधों और तालाबों के निर्माण के माध्यम से संचय करें।
- जल भराव क्षेत्रों में फसल विविधकरण, बीज उत्पादन और नर्सरी उगाने का कार्य करें।
- 30—37 प्रतिशत पानी बचाने और फसल की गुणवता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनायें।

1.4.7 कृषि विपणन व्यवस्थाकी समस्या

Copyright @ 2020 Authors

कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। स्वतंत्रातापूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरा पफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्रायः किसानों को बाशार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनवेफ पास अपना माल रखने वेफ लिए अच्छी भंडारण सुविधाएँ नहीं होती थीं, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं वेफ अभाव वेफ कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने वेफ लिए बाशार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। आइए, हम कृषि विपणन वेफ विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए चार प्रमुख उपायों को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने वेफ लिए बाशार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता, दोनों ही वर्ग लाभांवित हुए हैं। हालाँकि, लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडारगृहों गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों वेफ रूप में भौतिक आधारिक संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। किंतु, अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएँ बढ़ती माँग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश वेफ अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है। किंतु, अभी भी वुफछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में वुफछ कमियाँ दिखाई देती हैं। इनवेफ कारण हैंः सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों वेफ बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अवुफशल वित्तीय प्रबंधन। चौथे उपाय वेफ अंतर्गत नीतिगतसाधन हैंए जैसेः

1. कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना
2. भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव और
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;राशन व्यवस्थाद्ध के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण।

इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायिकी कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना रहा है। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्राक का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ सकल कृषि उत्पादन के मात्रा 10 प्रतिशत अंश के आदान–प्रदान में सफल हो पा रही हैं – शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही हैं। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि

 Copyright @ 2020 Authors

विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो।

सुझावः–

- किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी किसान काल सैंटर या लघु संदेश सेवा (ैडै)या एगमार्क नेट वेबसाईट ूंहउंतादमजण्दपबण्पद के माध्यम से प्राप्त कर सकते है
- सूचना प्राप्त करने के लिए ैडैकरे तथा जब आपको इतनी आवश्यकता हो यह उपलब्ध होगा। क्रेता विक्रेता पोएटल ूतिउमतण्हवअण्पदइनलेमसस पर उपलब्ध है
- फसल की कटाई एंव उचित समय पर की जानी चाहीए।
- अच्छे मुल्यों के लिए बिक्री से पहले अपने उत्पादों की उचित ग्रेडिंग पैकिंग तथा लेबलिंग करे।
- लाभकारी मुल्य लेने के लिए सही मार्किट मण्डी मे ही उत्पादो को लेकर लाना चाहिए
- अधिकत्तम लाभ अर्जित करने के लिए उपज का भण्डाण करके इसकी बिक्री बन्द सीजन के दौरान करे।
- मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
- विपणन सहाकरी समितियों खुदरा एंव थोक दुकान खोल सकती है।
- मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसरन अपनी उपज का भण्डारण शीत भण्डारण गृहो एंव वेयर हाउसिंग में कर सकते है।

1.4.8मशीनीकरण का अभाव

कृषि क्षेत्र में अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक बड़ा काम अब भी किसान स्वयं करते हैं। वे कृषि में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर ऐसे मामले छोटे और सीमांत किसानों के साथ अधिक देखने को मिलते हैं। इसका असर भी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत पर साफ नजर आता है।

सुझावः–

- अपनी आवश्यकतानुसार एवं स्थानीय परिस्थितियों और जोत एवं फसल अनुसार ही कृषि मशीनरी का चयन करें।
- किसान भाई मशीनरी को भाडे पर लेकर अथवा आपस में बांट कर प्रयोग करे।
- संसाधन बचाईये जीरो टिल सीड ड्रिल, लेजर लेवलर, हैपी सीड ड्रिल रोटावेटर आदि का प्रयोग करे।

 Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-2 No. 1 February 2020

- कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि मशीनरी के समुचित उपयोग एवं नियमित रख रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

1.5सारांश

उपरोक्त वर्णित समस्याओं के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए ज्ञान तथा जानकारी के टुकड़ों में हस्तांतरित करने की परंपरागत प्रणाली अपर्याप्त है। विस्तार मशीनरी की वर्तमान गतिविधियों, दृष्टिकोण तथा संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि विस्तार परामर्शों पर नई दृष्टि से ध्यान देते हुए कार्यक्रम तैयार किए जा सके और कार्य प्रणाली को तदनुसार पुनः निर्धारित किया जा सके। यह आवश्यक है कि हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यनीति पर ऐसी सोच विकसित करें जो ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं तथा उनकी आकांक्षाओं पर आधारित हो।

हरियाणा राज्य में कृषि विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना बद्ध रूप से प्रयास किया जा रहा है। कृषकों को जिला प्रशासन के प्रयासों से आसान किश्तों एवं न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में तकनीकों एवं मशीनों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे जिले में कृषि का समुचित विकास हो सके। कृषि कार्य में लगे लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हुई है।

मैं समझता हूं कि कृषि विस्तार की कृषि का उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने, ग्रामीण आजीविका को सुधारने तथा गरीबों के आर्थिक विकास का वाहक बनकर कृषि को बढावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे परिदृश्य पर नजर डालने पर मैं यह महसूस करता हूं कि विस्तार की हमारी युक्तियों के साथ–साथ इससे संबंधित दृष्टिकोणों को भी नया रूप देने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाकर व इसे फायदेमंद बनाकर उभरती हुई चुनौतियों से निपटा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- हरियाणा सरकारध्आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2019–20ध्अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
- कस्वां एन.आर. 2007, अन्लस ऑफ दा राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएसन, वौल्यूम 24वां, भूगोलविभाग, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, पृ.सं. 81.
- Census of Agriculture Holding in Haryana State, 1971-72, Director Land Records Haryana, Chandigarh.

Copyright @ 2020 Authors

- Chadha, G. K., 2006, ‘Report on the National Seminar on Agricultural Growth in the Post Reform Period: Regional Perspective’, The Giri Institute of Development Studies, Lucknow, March 27-29
- Chattopadhya, S. (1968). Early History of North India. Calcutta, pages 213-233.
- Cowan, Thomas (2018) The urban village, agrarian transformation, and rentier capitalism in Gurgaon, India. Antipode. LSE Research Online, ISSN 0066-4812, pp. 1–23 (In Press)
- Cowell, E.B., Thomas F.W. (1963). Harshacharita Delhi, pp. 83-89. Aggrawal, V.S. (1970). The Deeds of Harsha, Varanasi, pp. 50-57.
- Dey, A. (2011). Transforming India: Big ideas for a developed nation. Chennai: Oxygen Books.
- Dey, A. (2011). *Transforming India: Big ideas for a developed nation*. Chennai: Oxygen Books.
- Dvivedi, H.N. (1973). DilliKaTomara (Hindi) Delhi, pages 197-198.
- Eashvarish, P. (1985) Political Dimensions of Land Reforms in India, New Delhi, pp. 1-13.
- Economic Survey of Haryana (2017-18) Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana YojanaBhawan, Sector – 4, Panchkula 2018.
- https://farmer.gov.in/imagedefault/handbooks/Haryana.pdf

 Copyright @ 2020 Authors